प्रकरण के M- 14-21/2013-014 वर्ष मिन 3120-11114 । श्रीराम विश्वकर्मा तनय स्व. आ शाराम विश्वकर्मा निवासी ग्राम सौरा, तहसील व जिला छतरपुर म.प. ---- आवेदक हारा आज दि 16-9-14 को हारा मन

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक मिसलेनियस 3120-तीन / 2014

जिला छतरपूर

पक्षकारों एवं अभिभाषकों

आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर तर्क प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय के निगरानी प्रकरण कमाक 4571—तीन / 13 में पारित आदेश दिनांक 3-3-14 अनुसार अपर कलेक्टर जिला छतरपुर की ओर प्रकरण निर्देशों के साथ सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया गया । अपर कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा दिनांक 5-8-14 को प्रकरण उनके न्यायालय में अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया । आवेदक अधिवक्ता द्वारा उसी प्रकरण को तलब कर निर्णय पारित करने का निवेदन किया ।

प्रकरण का अवलोकन किया गया । पूर्व प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 3-3-14 के निर्देशों के पालन में अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा तिथि नियत कर निराकरण किया जाना शेष है । उनके द्वारा इस न्यायालय के आदेश के पालन में की जा रही कार्यवाही में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है । आवेदक अपना पक्ष अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के समक्ष रख सकता है । अतः प्रकरण में प्रथमदृष्टया सुनवाई के पर्याप्त आधार नहीं होने से अग्राह्य किया जाता है ।